



कायलिय प्रमानीय वनाधिकारी, चकराला वन प्रभाग, चकराला।

पत्रांक-1435/12-1 दिनांक, चकराला 15 अक्टूबर 2020

सेवा में,

अधिराष्ट्री अभियन्ता,

अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, राहिया

1635
6/11/2020
पत्रांक 1435/12-1

विषय:-

जनपद-देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड कालसी में लखस्यार (समरजोस रोड) से मुबानी खानी खुदरा लक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.240 हे० वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/०६/११५/२०२०/एफ०सी०/१३६२ दि० २९.०९.२०२० से जाक्षी सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के सदैमित पत्र के अनुपालन में विषयावित्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशिओं का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुक्षण पर व्यय।	4.48 हे०	3,37,184/-	15,10,584.00
2	एन०पी०पी०	2.24 हे०	8,45,000/-	18,92,800.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाइन बालान जनरेट कर देय धनराशिओं के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित राशि सं०-३क, 4क व 7 के अनुसार कायदाबद्ध करने का कष्ट करें

8A अक्षर 1435/12-1

22/10/2020

पत्रांक-1435/12-1 तदतिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सदैमित पत्र के कम में सूचनाई प्रेषित।

(दीप चन्द आर्य)
प्रमानीय वनाधिकारी,
चकराला वन प्रभाग, चकराला।

कार्यालय प्रमानीय वनाधिकारी, चकराला वन प्रभाग, चकराला।
पत्रांक-2802/12-1 दिनांक, चकराला 05 फरवरी 2021



सेवा में,

अधिराज्यी अभियन्ता,
अखण्ड खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
राजिपुरा

185
6
11/02/2021

विषय:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड कालसी में लखरपुर (समरजोस रोड) से मुबानी खानी खुदरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.240 हे० वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2013 दि० 01.02.2021

भारत सरकार, पृथ्विराज, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०पी०वी०/06/115/2020/एफ०सी०/1362 दि० 29.09.2020 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संचालित (यू०पी०वी०) देय धनराशियाँ का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	यू०पी०वी०	2.24 हे०	6,57,000/-	14,71,680.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्वीकृति में उल्लिखित राशि सं०-4क व 7 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

महोदय,

प्रमानीय वनाधिकारी,
चकराला वन प्रभाग, चकराला।

पत्रांक-2802/12-1 तदतिनांक

प्रतिनिधि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनाएँ प्रेषित।

वसुधा
11-2
10/2/21

NEW 3549

प्रमानीय वनाधिकारी,
चकराला वन प्रभाग, चकराला।